

ई प्रवेण

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल

क्रमांक/स्थापना/बी-1/विविध-251/64

भोपाल, दिनांक 16/02/2026

//आदेश//

म.प्र.कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 30(3) के अंतर्गत श्री ज्ञानेन्द्र पाराशर, सहायक ग्रेड-3, कृषि उपज मंडी समिति शिवपुरी जिला शिवपुरी को प्रशासनिक आधार पर अन्य आगामी आदेश तक कृषि उपज मंडी समिति मेहगांव जिला भिण्ड में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण किया जाता है।

उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी की सेवा शर्तें निम्नानुसार रहेंगी:-

1. प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित कर्मचारी पर मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 30 की उपधारा (4)(क) के अनुसार मूल मंडी में धारित पद पर अपना धारणाधिकार रखेगा।
2. प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित कर्मचारी के मासिक वेतन एवं भत्ते कृषि उपज मंडी समिति मेहगांव जिला भिण्ड से ही देय होंगे।
3. प्रतिनियुक्ति कर्मचारी के सेवाओं की आवश्यकता नहीं होने पर कभी भी सक्षम स्वीकृति की अनुमति लेकर वापिस की जा सकती है।

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Praveen Kumar Verma

Date: 16-02-2026

उप संचालक (स्थापना)
16:23:46

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

क्रमांक/स्थापना/बी-1/विविध-251/65

भोपाल, दिनांक 16/02/2026

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
2. संयुक्त संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय ग्वालियर।
3. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति शिवपुरी जिला शिवपुरी/मेहगांव जिला भिण्ड। संबंधित कर्मचारी की भारमुक्ति/उपस्थिति से अवगत करावें।
4. श्री ज्ञानेन्द्र पाराशर, सहायक ग्रेड-3, कृषि उपज मंडी समिति शिवपुरी जिला शिवपुरी की ओर पालनार्थ।
5. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती।

उप संचालक (स्थापना)

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल